समाहरणालय, शिवहर

(राजस्व प्रशाखा)

सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु अल्पकालीन सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शिवहर जिला अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के लिए कुल 09 सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु पूर्व प्रकाशित आम सूचना के अनुसार दिनांक 18.03.2019 से 20.03.2019 तक सैरात बन्दोबस्ती की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें मात्र 05 सैरात क्रमशः नया गाँव बाजार, नया गाँव भिण्डा बाजार, कमरौली बाजार, देकुली मेला एवं अदौरी बाजार की बन्दोबस्ती हो पायी है। शेष सैरात डुमरी केवला बाजार, पिपराही बाजार, अम्बाकला बाजार एवं बखार चण्डिहा घाट की बन्दोबस्ती डाकवक्ता की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी। पुनः शेष निम्नांकित सैरातों जिसका बन्दोबस्ती नहीं हो सकी है; की बन्दोबस्ती के लिए उसके नाम के सामने अंकित कंडिका (क) के अनुसार निर्धारित तिथि को 11.00 बजे पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी–सह–समाहर्ता प्रकोष्ठ में होगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को बन्दोबस्ती नहीं होने पर सैरातों के नाम के सामने अंकित तिथि (ख) एवं (ग) को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोबस्ती की जायेगी।

क्र0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा	डाक की तिथि
1	डुमरी कटसरी	डुमरी केवला बाजार	3,12,800.00	(क) 29.04.2019 को डाक नही होने की स्थिति में दिनांक 30.04.2019 को (ख) 30.04.2019 को डाक नही होने की स्थिति में दिनांक 02.05.2019 को (ग) 02.05.2019 को अंतिम रूप से
2	पिपराही	पिपराही बाजार	2,43,225.00	तथैव
3	''	अम्बाकला बाजार	41,745.00	तथैव
4	पुरनहियाँ	बखार चण्डिहा घाट	87,946.00	तथैव

बन्दोबस्ती लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति निश्चित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। सुरक्षित जमा का 10 (दस) प्रतिशत अग्रधन राशि के रूप में जमा करनी होगी तथा शर्त के अनुसार सफल डाकवक्ता को बन्दोबस्ती की पूर्ण राशि उसी समय जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्तकर ली जाएगी। राजस्व विभागीय पत्रांक 605(9)/रा० दिनांक 16.08.2018 के अनुसार सफल डाक वक्ता को सैरात बन्दोबस्ती राशि पर स्टाम्प शुल्क 6% एवं निबंधन शुल्क 2% यानि कुल 8% जमा करना होगा। सैरात की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट की साफ–सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था बन्दोबस्तीदार को ही अपने व्यय पर करनी होगी और सैरात में किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभा/प्रचार नहीं किया जायेगा।

समाहर्ता को डाक के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/–
समाहर्ता,
शिवहर।

ज्ञापांकः– 285 /रा0, शिवहर, दिनांकः– 18/04/19

प्रतिलिपिः–सभी अंचल अधिकारी, शिवहर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसका प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से अपने स्तर से करायेंगे तथा एक–एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी अपने अंचल नाजीर, हल्का कर्मचारी एवं अभिलेखों के साथ डाक की तिथि को निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरी/अपर समाहर्ता के समक्ष निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। साथ ही अपने अंचल से संबंधित सैरातों का अभिलेख संधारित कर साथ लावेंगे।

प्रतिलिपिः–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवहर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सैरात की डाक की सूचना पंचायत/पंचायत समिति के सूचना पट्ट पर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। यह भी निदेश दिया जाता है कि सैरातों की डाक हेतु निर्गत आम सूचना की प्रति सार्वजनिक स्थलों पर भी प्रकाशित करेगें ताकि आम लोगों के माध्यम से भी समुचित प्रचार–प्रसार हो सकें।

प्रतिलिपिः–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इसका प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से अपने स्तर से करायेंगे तथा एक–एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु आम सूचना जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे इसका प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से अपने स्तर से करायेंगे तथा आम सूचना की एक–एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित यदि संबंधित ग्राम पंचायत या प्राथमिक सहकारी सहयोग समिति सैरात की बन्दोवस्ती उच्चतम् डाक की राशि पर लेना चाहें तो डाक की तिथि से पूर्व अपनी अनुशंसा भेजने की कृपा करें।

18/4/19

समाहर्ता,
शिवहर।